

प्रस्तावना (PREAMBLE)

प्रस्तावना राजिक्यान के दर्पण है। जिन छोलों का उत्तम संवेदन प्रस्तावना में किया गया है। इसी का विस्तार मात्र संविधान में भी आता है। प्रस्तावना के छारा हमारे शासन व्यवस्था के दर्शनिक १९८९ए के स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना के छारा निम्नलिखित दर्शनों को समाप्ति किया गया है →

1. भारत को एक प्रभुत्वसंपन्न राज्य कहा गया है। अर्थात् नीति-विधान में भारत के सभी वी बाहरी सत्ता के हस्तबंध के विरुद्ध नहीं करेगा। हम अपने शासन के क्रिया-व्यवन में बाहरी दबाव को रही मानें।

2. समाजानुवाद के छारा समाज / समाजिक समाजीकरण पर बल दिया गया है। विश्व तळत समाज में सभी लोगों की सुरक्षा बराबर होगी।

3. पर्वतीर्षक्षता के नहर जह स्पष्ट किया गया है कि राज्य का अपना कोई वर्ग अली लोग नहीं। वह सभी वर्गों के पात्र समान रहेगा।

4. भारत एक जातिगतिक देश है जहाँ शासि का अन्तिम रूपान भारत की आम जनता है।

2018 के अवधि का संघीय अन्तर्गत के छार
अन्तर्गत के नियम लिए दिया जाता है।
इसीलिए शासन ने अन्तर्गत का ही है।

2019 भारत का एक संघीय प्रभुत्व - 5559
(2024) विषयात्मक होता है। इसीलिए
भारत का एक गणतांश राष्ट्र का जाता है।

प्रस्तावना में उल्लेखिक तथा अन्तर्गत
के स्थापित करने के लिए व्यापक समाजवाद
समर्पित और बहुत प्रभावी एवं आरंभिक दिया जाता
है। मानव की जातिभावना तथा अधिकारों की
समानता के स्थापित करने के लिए बोक्तव्य के
समाजवाद के स्थापित करने का अद्द्युत 2024
जाया है।

गणराज्य में पहले विवाद का विषय
एवं है कि प्रस्तावना सांविधान का अंग
हो या नहीं। उच्चान्वय भारतीय वाद में 2024
ने प्रस्तावना को सांविधान के अंग
समीकरण किया था तब 42वें संघीयान
संसदीय 1978 के द्वारा प्रस्तावना में
संशोधन किया गया। इस संशोधन के
द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और
व्यापारिक पक्ष 2024 गोड़े गए तथा
2024 का और अखण्डता 2029 तक जाया